क्रम संख्या–244

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/2006–08
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 17 दिसम्बर, 2007 ई0
अग्रहायण 26, 1929 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 1207/XXXVI(4)/2007
देहरादून, 17 दिसम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 12 दिसम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007

(अधिनियम सं0 09, वर्ष 2007)

[भारत गणराज्य के अठ्ठावनवें वर्ष में अधिनियमित]

उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 29 की उपधारा(2), (3) तथा (4) में संशोधन

2. उत्तरांचल सहकारी समिति अाीनियम, 2003 की धारा 29 में–

(क) उपधारा (2) में, शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु किसी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने इस अधिनियम के दिनांक को या उससे पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, तब उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा"।

(ग) उपधारा (3) में क्रमशः शब्द "चार माह" एवं "दो माह" के स्थान पर क्रमशः शब्द "दो माह" तथा "एक माह" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (4) में शब्द "चार मास" के स्थान पर शब्द "दो माह" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

श्रीमती इन्दिरा आशीष,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2007 (Uttarakhand Adhiniyam Sankhya 09 of 2007).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on December 12, 2007.

No. 1207/XXXVI(4)/2007
Dated Dehradun, December 17, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2007

(ACT NO. 09 OF 2007)

[Be enacted in the 58th Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislature as follows]

Further to amend the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003 be enacted in the 58th year of the Republic of India as follows

AN

ACT

Short Title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Co-operative Societies (Amendment) Act, 2007.

   (2) It shall come into force at once.

Amendment of sub-section (2), (3) and (4) of Section 29

2. In section 29 of the Uttaranchal Co-operative Societies Act, 2003 following amendments shall be made, namely:--

   (a) In sub-suction (2), the words "Five years" shall be substituted by the words "two years".

   (b) The following proviso shall be added after sub-section (2), namely:--

   "Provided that the tenure of the Management Committee and its elected members, having copleted the period of two years from the date of its constitution on or prior to the date of the commencement of the Act, shall expire on such commencement".

   (c) In sub-section (3), the words "Four months" and "Two months" shall be substituted by the words "Two months" and "One month" respectively.

   (d) In sub-section (4), the words "Four months" shall be substituted by the words "Two months".

By Order,

Smt. INDIRA ASHISH,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 72 विधायी/647–2007–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।